[redacted] सरकार

राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

कमांक-प0 6(6)राज.-6/92पार्ट II/19 जयपुर,दिनांक:- 20.10.2005

समस्त जिला कलेक्टर।

::परिपत्र::

विषय:-भू-राजस्व रिकार्ड में आवास व अन्य परिसर का अंकन के संबंध में।

सन्दर्भ:-इस विभाग का पूर्व पत्रांक: प.6(6)राज-6/92 पार्ट दिनांक 26.11.2004

महोदय,

उपरोक्त विषय में पूर्व में जारी प्रासंगिक पत्र के कम में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन)नियम,1992 के नियम 5 व 5क के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में काश्तकारों द्वारा उक्त नियमों में वर्णित सीमा तक अपनी खातेदारी भूमि के भाग का आवासीय, पशु उपयोग एवं भंडारण एवं लघु उधोग हेतु बिना शुल्क भूमि का संपरिवर्तन कराया जा सकता है एवं इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 67 के तहत काश्तकारों द्वारा अपनी कुल भूमि के 1/50 भाग का आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जा सकता है। इन नियमों में निहित सीमा व शर्तों तक काश्तकारों ने अपनी भूमि का जो भाग अकृषि में उपरोक्त उद्धेश्य हेतु उपयोग कर लिया है उसका अंकन उसी समय राजस्व रिकार्ड में किया जा सकता है व यदि उससे अधिक हो तो बिना सम्परिवर्तन कराये अकृषि में परिवर्तन के मामले तैयार किये जा सकते हैं ताकि काश्तकार चाहे तो नियमानुसार अकृषि में परिवर्तन करा ले या अतिक्रमण हटाये।उपरोक्तानुसार सभी निर्देश सभी जिला कलेक्टर को समसंख्यक पत्र दिनांक 2.12.04 द्वारा जारी किये गये थे। परन्तु चूंकि वह प्रशासन आपके द्वार अभियान हेतु जारी किये गये थे, अत: पुन: जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

19.X.2005

शासन उपसचिव,राजस्व